संख्या-24/2018-1099 ई-2/तेरह-2018-101/2015

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 मार्च,2018

विषय:- वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-376/दस-लाइसेंस-294/होलोग्राम आपूर्ति/यूफ्लैक्स लि0/2017-18, दिनांक 12 मार्च,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई का कार्यकाल टेण्डर डाक्यूमेन्ट वर्ष 2012-13 के प्रस्तर-17 एवं अनुबंध पत्र के प्रस्तर-9 के अन्तर्गत विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पूर्व पत्र संख्या-जी-324/दस-लाइसेंस-294/होलोग्राम आपूर्ति/यूफ्लैक्स लि0/2017-18, दिनांक 06 फरवरी,2018 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-13/2018-434 ई-2/तेरह-2018-101/2015, दिनांक 13 फरवरी,2018 द्वारा वर्तमान होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल दिनांक 10-3-2018 तक बढ़ाया गया था। प्रदेश की आसवनियों द्वारा वर्ष 2017-18 की शेष अवधि हेतु सुरक्षा होलोग्राम की मांग के क्रम में प्रदेश की आबकारी दुकानों में देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आपके उक्त पत्र दिनांक 12 मार्च,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं राजस्वहित के दृष्टिगत होलोग्राम की सुचारू आपूर्ति हेतु 2012-13 में चयनित वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1 सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर का कार्यकाल टेण्डर डाक्यूमेन्ट वर्ष 2012-13 के प्रस्तर-17 एवं अनुबंध पत्र के प्रस्तर-9 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों एवं दरों पर दिनांक 25-03-2018 तक बढ़ाया जाता है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in